मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, भोपाल

गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति

प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश में बड़े क्षेत्रों में ऐसी भूमि उपलब्ध है जो राजस्व भूमि है तथा ग्रामों एवं नगरों के निवासियों के सामान्य लोकोपयोग से भिन्न होकर वन भूमि से भी पृथक् है. ऐसी उपलब्ध गैर-वन पड़त भूमि को उपयोग बनाने, वनीकरण पौधारोपण एवं तत्संबंधी प्रसंस्करण हेतु निजी कम्पनियों, पंजीकृत समितियों, संस्थाओं आदि को उपलब्ध कराने के लिए एवं समाज के भूमिहीन गरीब एवं कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ऐसी भूमि में से कृषि योग्य परिवर्तनीय भूमि सुलभ कराने,के लिए राज्य शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है.

1. भूमि की पहचान एवं वर्गीकरण :

1.1 गैर वन पड़त भूमि की परिभाषा निम्नानुसार होगी:—

''गैर वन पड़त भूमि ग्राम की वह भूमि है, जो वनभूमि से पृथक् है और जिसमें राजस्व की ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं है, जो निस्तार छोटे/बड़े झाड़ का जंगल, कृषि खातों की भूमि और आबादी के लिए राजस्व अभिलेख में दर्ज है और उपयोग में आ रही है''.

1.2 प्रत्येक जिले में गैर वन पड़त भूमि की पहचान करने के लिए निम्नानुसार जिला-स्तरीय समिति गठित की जायेगी:—

(1) जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(3) वन मंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी/सामान्य)	—	सदस्य
(4) उप संचालक, उद्यानिकी	—	सदस्य
(5) अधीक्षक, भू-अभिलेख	—	सदस्य
(6) जिला प्रबंधक, म. प्र. कृषि उद्योग विकास निगम	—	सदस्य
(7) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी	—	सदस्य
(8) उप संचालक, कृषि	—	सदस्य-सचिव.

1.3 उक्त समिति जिले में उपलब्ध गैर वन पड़त भूमि की पहचान कर इसकी जानकारी एकत्र करेगी, जिसमें भूमि के विवरण एवं स्थल की विस्तृत जानकारी के साथ नक्शा भी शामिल होगा.

1.4 जिले में उपलब्ध संपूर्ण गैर वन पड़त भूमि का दो भागों में हिसाब रखा जाएगा—ऐसी पहली सूची में वे भूमियां जिन्हें कृषि योग्य बनाया जाना संभव नहीं है और दूसरी वे जिन्हें विकसित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है. तत्पश्चात् प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए उपयुक्त भूमिखण्डों की जिलेवार उपलब्धता का आंकलन किया जायेगा.

1.5 इस प्रकार संकलित जानकारी जिला-स्तरीय समिति जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी. इसे संभागीय आयुक्त एवं राज्य शासन को भी प्रेषित किया जावेगा और नोडल एजेन्सी की वेबसाइट पर भी संधारित किया जावेगा.

शासन को भी प्रेषित किया जावेगा और नोडल एजेन्सी की वेबसाइट पर भी संधारित किया जावेगा.

2. भूमि आवंटन प्रस्ताव एवं वनीकरण हेतु नोडल एजेन्सी :

2.1 मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम गैर वन पड़त भूमि की भूमि एवं परियोजनाओं के परीक्षण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा.

2.2 नोडल एजेन्सी, जिला-स्तरीय समिति एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले में भूमि बैंक के लिये डाटा बेस तैयार करेगी. डाटा बेस में जिले की गैर वन पड़त भूमि के अंतर्गत उपलब्ध भूखण्डों की जानकारी रखी जायेगी और वनीकरण/पौधारोपण आदि के लिये भूमि की उपलब्धता एवं उपयोगिता का विवरण दिया जायेगा.

3. भूमि का आवंटन :

3.1 निजी निवेश हेतु भूमि :

3.1.1 निवेश हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन किसी भी व्यक्ति/पंजीकृत संस्था/कम्पनी द्वारा किया जा सकेगा. यह आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर प्रस्तुत किया जावेगा.

3.1.2 चिन्हित एवं वर्गीकृत की गई भूमियों के आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

जिला स्तर पर निवेश हेतु 50 हेक्टेयर तक भूमि के आवंटन के लिए अधिकारिता निम्नलिखित समिति को होगी :—

(1) जिला प्रभारी मंत्री	—	अध्यक्ष
(2) जिला कलेक्टर	—	सदस्य
(3) वन मंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी/सामान्य)	—	सदस्य
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(5) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	—	सदस्य
(6) जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम	—	सदस्य
(7) उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	—	सदस्य
(8) उप संचालक, कृषि	—	सदस्य-सचिव.

3.1.3 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि के निजी निवेश के लिए आवंटन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.

3.1.4 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि के मामले भी संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो नोडल ऐजेंसी के परीक्षण-अनुशंसा टीप के साथ राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड को प्रेषित करेगा, तत्पश्चात् बोर्ड उन पर विचार करेगा.

3.1.5 (क) जिला स्तर पर आवंटन प्रकरण संबंधित कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया जाएगा तथा प्रस्तुत किया जावेगा.

(ख) राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड से भूमि-आवंटन की अनुशंसा प्राप्त होने पर शासन (राजस्व विभाग) द्वारा आवेदक को भूमि का आवंटन विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा.

(ग) जिला समिति या राज्यस्तरीय ... [illegible]

(ग) जिला समिति या, यथास्थिति, राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड द्वारा प्रकरण की अस्वीकृति की स्थिति में पुन: नई योजना प्रस्तुत की जा सकेगी.

3.2 कृषि परिवर्तनीय भूमि :

3.2.1 कृषि योग्य परिवर्तनीय भूमि (द्वितीय श्रेणी) का वंटन जिसमें 2 मीटर तक गहरे बीहड़ भी सम्मिलित हैं, प्रति परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में किया जायेगा.

3.2.2 भूमि का वंटन सक्षम अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय भूमि आवंटन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा.

3.2.3 इस हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार, क्रमांक-3 की कंडिका-1(झ) में परिभाषित "आवंटन-अधिकारी" सक्षम अधिकारी होगा.

3.2.4 वंटन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

(1) खेतिहर मजदूर.

(2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन व्यक्ति.

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.

(4) शिक्षित बेरोजगार युवा.

(5) भूतपूर्व सैनिक.

(6) भूमिहीन व्यक्तियों के स्वसहायता समूह (प्रति भूमिहीन सदस्य को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के मान से अधिकतम 50 हेक्टेयर तक).

(7) अन्य.

3.2.5 "भूमिहीन व्यक्ति" से यहां तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य में कम से कम 12 वर्ष से निवास कर रहा हो तथा जिसके स्वयं के पास अपने कुटुम्ब के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि न हो. कुटुम्ब में केवल पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र/अवयस्क पुत्री सम्मिलित होंगे.

3.3 लायसेंस एवं पट्टों के प्रारूप :

लायसेंस एवं पट्टे ऐसे प्रारूपों में दिए जाएंगे जैसे राज्य सरकार निर्धारित करें.

4. वार्षिक भू-भाटक :

4.1 उपर्युक्त कंडिका-3.2.4 में उल्लेखित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नि:शुल्क किया जायेगा.

4.2 आवेदक/निवेशकर्ता को प्रथमत: 2 वर्षों के लिये निर्धारित शर्तों पर भूमि नि:शुल्क लाइसेंस पर दी जायेगी. निवेशकर्ता द्वारा निर्धारित समस्त कार्य समयावधि में पूर्ण करने पर ही भूमि 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की जायेगी. भूमि का भू-भाटक निम्नानुसार देय होगा :—

अवधि	राशि
प्रथम 5 वर्ष तक	- रुपये 500/- प्रति हेक्टेयर

प्रथम 5 वर्ष तक	- रुपये 500/- प्रति हेक्टेयर
5 से 10 वर्ष तक	- रुपये 1000/- प्रति हेक्टेयर
10 से 30 वर्ष तक	- रुपये 1500/- प्रति हेक्टेयर

4.3 भू-भाटक की राशि का 50 प्रतिशत अंश संबंधित ग्राम पंचायत की पंचायत निधि में, 20 प्रतिशत अंश नोडल एजेन्सी के खाते में तथा 30 प्रतिशत अंश सरकारी खजाने में जमा किया जायेगा.

5. लीज की अवधि :

निजी पूंजी निवेश हेतु गैर वन पड़त भूमि निवेशकर्ता आवेदक को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी जायेगी. 30 वर्ष की अवधि के अवसान पर राज्य शासन की अनुमति से पट्टा नवीनीकृत किया जा सकेगा.

6. आवंटन की शर्तें :

राजस्व पुस्तक परिपत्र या अन्य शासकीय निर्देशों में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त गैर वन पड़त भूमि के निवेश हेतु आवंटन संबंधी पट्टों में निम्नलिखित विशेष शर्तें रखी जायेंगी:—

(क) आवेदक आवंटित की जाने वाली भूमि के विकास की परियोजना तैयार कर भूमि वंटन के आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

(ख) प्रस्तुत परियोजना में यह स्पष्ट अंकित होगा कि प्रथम दो वर्षों में कौन-कौन से विकास कार्य भूमि पर किये जायेंगे. समिति दो वर्षों में अपेक्षित कार्यों का स्पष्ट अनुमोदन करेगी तथा इन कार्यों का उल्लेख लायसेंस में किया जावेगा. प्रथम दो वर्षों में लाइसेंस पर निःशुल्क दी गई भूमि पर निर्धारित कार्य समयावधि में पूर्ण होने पर ही भूमि 30 वर्ष की लीज पर आगे आवंटित करने पर विचार किया जायेगा.

(ग) अगर पहले दो वर्ष में आवेदक/संस्था द्वारा उस प्रयोजन में भूमि उपयोग किया जाना नहीं पाया गया, जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित है, तो लाइसेंस निरस्त कर संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में वापिस शासकीय दर्ज की जायेगी और ऐसी भूमि का कब्जा वापिस लिया जायेगा.

(घ) आवेदक, आवंटित भूमि पर किसी प्रकार के खनिज का उत्खनन नहीं करेगा.

(ङ) आवंटित भूमि का हस्तांतरण राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा.

(च) उद्देश्य से हटकर यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो समुचित सुनवाई उपरांत पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज कर उसका कब्जा वापिस लिया जाएगा.

(छ) आवंटित भूमि पर केवल प्रासंगिक प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति होगी.

(ज) स्थानीय निस्तार अधिकारों का समुचित संरक्षण करने के उपरांत ही पट्टा जारी किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो जावे कि भूमि आवंटन पश्चात् निवेशकर्ता एवं निस्तार की स्थानीय आवश्यकताओं में टकराव न हो.

7. आवंटन के लिए प्रतिबंध :

7.1 आवंटित की जाने वाली भूमि, नगर निगम की बाह्य सीमा से 10 किलोमीटर, नगरपालिका/नगर पंचायत की बाह्य सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में नहीं होगा.

5 किलोमीटर की परिधि में नहीं होगा.

7.2 यदि भूमि एक साथ उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर पृथक्-पृथक् स्थित एक से अधिक भूखंड भी आवंटित किए जा सकेंगे.

8. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 से छूट आदि :

8.1 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा-3 (एच) के अधीन जारी की गई अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 के अन्तर्गत राज्य की गैर वन पड़त भूमि विकास योजना के लिए इस नीति के अधीन आवंटित भूमि उक्त अधिनियम के उपबंधों से विमुक्त होगी.

8.2 निवेशकर्ता को लीज पर दी गई गैर वन पड़त भूमि, राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों पर बंधक रखने की अनुमति होगी. इस हेतु राज्य शासन पृथक् से शर्तें निर्धारित कर सकेगा.

9. निरसन :

प्रदेश में गैर वन पड़त भूमि के लिये पूर्व में निर्धारित नीति (मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक-एफ 4-7/96/सात-2 ए, दिनांक 11-6-2002) एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4, क्रमांक 3 'अ' में उल्लेखित बीहड़ भूमि के वंटन संबंधी निर्देश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-622/चार/ब-5/06, दिनांक 4-10-2006 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 पुखराज मारू)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग